तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/6/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस भाग पत्र T.I. हेतु अवसर चाहा। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/7/22 को पेश हो।
25/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 2.11.22 को पेश हो।
2.11.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस प्रारम्भ T.I. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.11.22 को पेश हो।
23.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 28.11.22 को पेश हो।
28/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० है। एकपक्षीय बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित भूमि ग्राम देई की खसरा नं. 1054, 1055, 1711, 1718, 2530, 2541, 2542, 2545 व 2549 कुल किता 9 कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा भूमि के सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] प्रावधानों के अनुसार [illegible] द्वारा लिखित पत्रावलियों [illegible] रित सिद्धान्तों

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.19 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

व 1964 RRD पेज 88 के अनुसार साधारणतया एक सह अभिधारी किसी दूसरे सह अभिधारी के विरुद्ध आदेश प्राप्त नही कर सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। रिकार्डेड सहखातेदार होने के कारण अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नही होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, बहस वकील प्रार्थी एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.19 15:32:11 IST
Reason: SelfAttested